

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं ले.प./ हिंदी कक्ष /प्रो यो/ 2054-26/2026-27

दिनांक: 22.04.2026

परिपत्र सं/Circular No. 10

विषय: हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना-वर्ष 2025-26
Sub: Incentive Scheme for doing work in Hindi for the year
2025-26

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक के पैरा 7.3.(2)(बी) तथा 7.3.(3)(क) के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। तदनुसार सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी, निम्न दर्शाए दर पर प्रोत्साहन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा वर्ष में **कम से कम दस हजार शब्द** हिन्दी में लिखते हैं। भाग लेने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर, मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 1094/रा.भा.अ/62-20216-111 दि. 17.10.2016 के अनुसार निम्न दर पर नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:-

According to Para 7.3 of Manual regarding the use of Official Language, officials and employees who do their official work wholly or partly originally in Hindi and thus write **at least 10000 words** in Hindi in a year are eligible to be considered for the Incentive Scheme. Following cash awards will be given to the participants every year according to the work done by them as per Hqrs Letter No. 1094/रा.भा.अ/62-20216-111 Dt. 17.10.2016:

प्रथम पुरस्कार /First Prize (2 Nos) : Rs. 5000/- to each
द्वितीय पुरस्कार/Second Prize (3 Nos) : Rs. 3000/- to each
तृतीय पुरस्कार /Third Prize (5 Nos) : Rs. 2000/- to each

उपरोक्त योजना के अलावा, उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा वर्ष में **कम से कम पांच हजार शब्द** हिन्दी में लिखते हैं, के लिए कार्यालयांतर प्रोत्साहन योजना के तहत विजेताओं को भी निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

Apart from the scheme stated above, under the In-House Incentive Scheme Officers/Employees who do their official work wholly or partly originally in Hindi and thus write **at least 5000 words** in Hindi in a year will be given cash awards as follows:

प्रथम पुरस्कार /First Prize (1 Nos) : Rs. 1500/- to each

द्वितीय पुरस्कार /Second Prize (2 Nos) : Rs. 1000/- to each
तृतीय पुरस्कार /Third Prize (3 Nos) : Rs. 750/- to each

प्रतिभागी को प्रतिदिन नीचे दिए गए प्रपत्र में उनके द्वारा हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिए। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा यथावत् प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर मूल्यांकन के लिए हिंदी कक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर, पुरस्कार के मापदण्डों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार मंजूर किए जाएंगे। अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2025-26 में हिंदी में पर्याप्त कार्य किया है वे अपना अभिलेख **15-05-2026** तक हिंदी कक्ष को प्रस्तुत करें।

The competitors should maintain a record of the words written by them every day in the Proforma enclosed herewith. Each week's record should be verified and countersigned by the Reporting Officer. At the end of the year, every competitor should submit the record of his/her work done in Hindi duly countersigned by the Reporting Officer to Hindi Cell for assessment of the same. On the recommendation of the Assessment Committee, as per the criteria for awarding, cash awards will be sanctioned to the eligible candidates. Those who have done sufficient work in Hindi for the year 2025-26, may submit their applications to Hindi Cell by **15-5-2026**.

उप महालेखाकार/प्रशासन
Dy. Accountant General/Admn.

सेवा में /To

सभी ग्रुप अधिकारीगण /All Group Officers

सभी अनुभाग /All sections

सभी शाखा कार्यालय All Br. Offices

□

दूरभाष / Telephone :0471 – 2330799

ई-मेल / e-mail : agaukeralal@cag.gov.in
वेबसाइट / Website : <https://cag.gov.in/ag1/kerala/en>

फैक्स / Fax – 0471-2331326